

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)
पीठासीन अधिकारी : संजू मीणा, RAS

1. रमजानखा पुत्र पीरखा जाति मुसलमान, निवासी शेखान मौहल्ला दौसा
2. अजीजखा पुत्र पीरखा जाति मुसलमान, निवासी शेखान मौहल्ला दौसा
3. जमीलखा पुत्र पीरखा जाति मुसलमान, निवासी शेखान मौहल्ला दौसा
4. मु. शरीफन बेवा पीरखा जाति मुसलमान, निवासी शेखान मौहल्ला दौसा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

प्रतिवादी

वाद बाबत् उद्घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर : 72 / 2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू संजू मीणा, RAS एवं हाजिरी श्री मिट्ठनलाल गुर्जर अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र खारिज किया जाता है।

निज ————— मुबलिग ————— बाबत ————— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ————— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ————— अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.02.2026 को जारी की गई।



(संजू मीणा)

उपखण्ड अधिकारी दौसा
दौसा (राज०)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालत नामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजह सबूत	0	0	महन्ताना वकील	0	0
महन्ताना वकील	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	फीस कमिश्नर	0	0
फीस कमिश्नर	0	0	बाबत इजराय हुकमनामा	0	0
बाबत इजराय हुकमनामा	0	0	मुतफरिक	0	0
मुतफरिक	0	0			
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।